दैनिक भास्कर 7

जोधपुर . शनिवार. 11 मई, 2013

जोधपुर

न्यूज़ इनबॉक्स

पूर्व नरेश के खिलाफ आयकर नोटिस पर अंतरिम रोक

हाईकोर्ट ने पूर्व नरेश गजसिंह और मरुधर होटल्स के विरुद्ध आयकर विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 व 2007-08 में एसेसमेंट किए गए मामलों को पुनः खोलते हुए भेजे गए करीब 4.5 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायाधीश डॉ.विनीत कोठारी ने मरुधर होटल्स और पूर्व नरेश गजसिंह की ओर से दायर छह याचिकाओं की सुनवाई के तहत दिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से दिल्ली से आए अधिवक्ता अजय वोहरा और अधिवक्ता रमित मेहता ने कहा कि आयकर विभाग एक बार एसेसमेंट संपन्न करने के बाद उसी मामले को बिना किसी कारण पुनः नहीं खोल सकता। साथ ही विभाग द्वारा जो नए कारण बताए गए हैं वे असत्य हैं और नोटिस बिना न्याय क्षेत्र के जारी किए गए हैं। आयकर विभाग ने आयकर नियम 1961 की धारा 148 के तहत छह मामलों में री-एसेसमेंट ऑर्डर पारित करते हुए तीन नोटिस मरुधर होटल्स और तीन डिमांड नोटिस पूर्व नरेश गजसिंह के नाम से जारी किए थे।